

कार्यक्रम :- दृ. 17 (1)नाम/ ३/ १२

ज्ञानपुर दिनांक : 28.6.12

二 論文

श्री सुरेश चन्द्र कुमारस, चरिष्ट लिपिक, भू जल विभाग, शासन सचिवालय,
जयपुर उनकी चतुर्थ श्रेणी की यारियत संख्या 159/08 सेवा निवृत्ति दिनांक 31.8.2022 के आधार
पर नियमानुसार किसाये पर राजकीय आवास संख्या 4/ए/13, गौद्धीनगर जयपुर निम्न शर्तों पर
एतद्वारा आवेदित किया जाता है :-

70

- आदायक का कम्ता आवंटन की तिथि से ८ दिवस में किया जायेगा। इस अधिकारी में कम्ता न लेने पर आवंटन आदेश रखते निरस्ता-समझा जायेगा।
 - उन्ट आदायक का किया राष्ट्रसभान दिविय रोम निवास स्थल के किलापे को अपचारण कोर वसुले नियम 1958 के अन्तर्गत समय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार बसुल होगा।
 - संवादित दिनांक से दो माह पश्चात आदायक का सुनिश्चित करना होगा।
 - जयपुर से बाहर रखना नहीं हो जाने पर उस दिवाय को सुनिश्चित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आदायक रिक्त करना होगा।
 - तथा तथा घनी/घनी का नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आदायक बन जाने /कम करने की रिक्ति में इस दिवाय को सुनिश्चित करना होगा।
 - दूसिंह उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आदायक का आवंटन किया जा सकता है। अतः राजकीय आदायक आवंटन नियम 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसारण में आदेश प्रसारित होने के आदायक रिक्त की तिथि से ८ दिवस में अव्याधि आवंटन स्थीकार करने के असफल रहने की तारीख से ६ माह की कालाघटि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। ६ माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी भूल लिखति में पुनः जाया जा सकेगा। उसका मकान किया भला थाए उस शीत में अनुष्ठान ही तो रोक दिया जायेगा।
 - लम्बायित दिवायावधि/आहरण वितरण अधिकारी मृण्यु आवंटी के द्वारा आदायक का कम्ता रिक्त होने की तिथि से ८ दिवस में किया जायेगा। अन्यथा नियायिक अधिकारी उपरान्त आवंटी अधिकारी का नकार कियाया भला बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस दिवाय को भिजावाने का श्रम तथा दैर्घ्य।
 - आवंटी को आवंटित राजकीय आदायक का कम्ता देने से पूर्व संबंधित अधिकारी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी।
 - आवंटन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आदायक का कम्ता देने तक की अधिकारी में आवंटी निरस्ता रखने पर नहीं यह सम्भालित रहे हैं।
 - आवंटन करने की तिथि से आवंटित राजकीय आदायक द्वारा कम्ता देने तक की दाकिया में आवंटी के द्वारा कई तथा/परि/परिव व उन पर आवंटित कियी अन्य सदस्य के नाम ये जारीपुर में नियमित/कम नहीं किया है।
 - उपरोक्त के अतिरिक्त आज्ञा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य जारी भी नाम्य होंगी।
 - सुनिश्चित शुल्क के बेटे इनके बेतन से राशि रुप 150/- प्रतिमाह काली जाकर राजकोष में पाना करानी होगी।

संस्कृत की जाता है

४२
मिशनप्रूल वैरवा

प्रतिलिपि निम्नांकित पो नृष्णनार्थ एव आवश्यक कार्यालयी हेतु प्रेषित है—

1. जिला कलाकार, जयपुर।
 2. निदेशक समग्रा विभाग, जयपुर।
 3. शासन उप सचिव, प्रशिक्षण-१ विभाग।
 4. मुख्य सेक्युरिटी/कोमांडोवर्सी, शासन सचिवालय, जयपुर।
 5. प्रदेश निदेशक, राजकोष प्रधान लल, योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन दिलाएं गी और साईट पर शाईट लगाएं हो जा कराएं।
 6. अधिकारी अभियन्ता, सार्वजनिक/जन स्वातं अभियोग विभाग विभिन्न विभाग भौतिक भौतिक जयपुर।
 7. सहायक अभियन्ता/सार्वजनिक निर्भाय विभाग भौतिक भौतिक जयपुर।
 8. संघीय कर्मचारी को ऐजवान देंगे हैं कि आवंटित आवास का कब्जा लेवास पूर्व में आवंटित आवास 15 दिवस में छिपा लाने का क्षम करें।
 9. नियी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक।
 10. रहित प्राचारणी।

२०१५